मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१९

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

धारा २० का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्र. २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २० के परंतुक में, शब्द "उद्ग्रहीत कर और अधिरोपित शास्ति की रकम" के स्थान पर, शब्द "उद्ग्रहीत कर और अधिरोपित शास्ति की रकम का पचास प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

प्रथम अनुसूची, का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(एक) मद चार में लोक सेवा यान,—

(क) उप-मद (१) में, खण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, अंक तथा शब्द "१५० प्रतिसीट प्रति तिमाही" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "१५० प्रतिसीट प्रतिमास" स्थापित किए जाएं;

(ख) उप-मद (२) में, कॉलम (२) में, अंक "१८०" के स्थान पर, अंक "२००" स्थापित किया जाए;

(ग) उप-मद (३) में, खण्ड (क) में, कॉलम (२) में, अंक "१८०" के स्थान पर, अंक "२००" स्थापित किया जाए;

(दो) मद पांच माल यान में,—

(क) उप-मद (१) में, अंक "१२०००" के स्थान पर, अंक तथा "२८०००" स्थापित किया जाए;

(ख) उप-मद (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) ऐसे मालयान पर, जो १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत हैं और जिसका पंजीयन लदान भार २८००० किलोग्राम से अधिक है, कर निम्नानुसार होगा:—

(क)	२८००० किलोग्राम से अधिक किन्तु २९००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ९००० प्रति तिमाही
(ख)	तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए ३५० प्रति तिमाही

स्पष्टीकरण.—कर प्रति तिमाही/जीवन-काल मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रारम्भ होने के पश्चात् आगामी तिमाही के प्रथम दिन से संदेय होगा.";

(ग) उप-मद (३) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(३) अन्य राज्यों में पंजीकृत मालयान जिसका लदान भार—

(क)	५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ५०० प्रति मास
(ख)	५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ६०० प्रति मास
(ग)	तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए १०० प्रति मास”.;

(तीन) मद छह के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“छह. प्राइवेट सेवा यान :

(क)	बैठक क्षमता १२+१ से अधिक हो	रुपए २०० प्रति सीट प्रति मास.
(ख)	यदि निजी सेवा यान ने मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ८७ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त की हो.	उप मद (क) में यथा उल्लिखित कर के अतिरिक्त रुपए ६० प्रति सीट प्रति दिन.”;

(चार) मद सात के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“सात. शैक्षणिक संस्था बस :

(क)	बैठक क्षमता १२+१ से अधिक हो	रुपए १२ प्रति सीट प्रति वर्ष.
(ख)	शैक्षणिक संस्था बस (बैठक क्षमता १२+१ से अधिक) ने मोटयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ८७ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त की हो.	उप मद (क) में यथा उल्लिखित कर के अतिरिक्त रुपए ६० प्रति सीट प्रति दिन.”;

(पांच) मद आठ अन्य यान में,—

(क) उप-मद (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क)	मद एक, दो तथा तीन के अतिरिक्त अन्य यान जो व्यावसायिक प्रमाण-पत्र या अस्थायी पंजीयन के अन्तर्गत आते हैं और जिसका लदान रहित भार ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ६०० प्रति मास”.;

(ख) उप-मद (२) में, खण्ड (क) एवं (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(क)	ऐसे यान जिसका लदान रहित भार ३००० किलोग्राम से अधिक नहीं है	रुपए १००० प्रति मास
(ख)	तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए	रुपए २०० प्रति मास.

टिप्पण : माल यान के कर की गणना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. ३८८१ (ए), दिनांक ६-८-२०१८ में सकल यान भार के लिये यथा अवधारित की जाएगी.";

(छह) मद नौ अंतरण कर में,—

(क) उप-मद (एक) एवं (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(एक)	गैरपरिवहन यान		पंजीयन के समय संदत्त कुल जीवन काल कर का २० प्रतिशत.
(दो)	परिवहन यान		
	(१)	मोटरसाइकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले यान	पंजीयन के समय संदत्त कुल जीवन काल कर का १० प्रतिशत.
	(२)	बैठक क्षमता १३+१ एवं ऊपर के सभी यात्री यान	यान की पंजीकृत क्षमता पर रुपए २०० प्रति सीट.
	(३)	मालयान	यान के सकलयान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ५००.
	(४)	ऐसे यान जो इस अनुसूची के किसी वर्ग में उल्लिखित न हों	यान के लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १५००.

स्पष्टीकरण.—स्वामी की मृत्यु के कारण यान के अंतरण की दशा में या मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ५० की उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन लोक नीलामी के माध्यम से सरकार द्वारा अंतरण या ऐसे यान जो धारा ११ एवं १२ के उपबंधों के अधीन कर से छूट प्राप्त हैं, इस अनुसूची में यथा उल्लिखित अतिरिक्त कर ऐसे यानों के लिये देय नहीं होगा.";

(सात) मद दस हरित कर में,—

(क) शीर्षक "हरित कर" के स्थान पर, शीर्षक "बैटरी द्वारा चलित यान से भिन्न यान पर हरित कर" स्थापित किया जाए.

(ख) उप-मद (१) में, खण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द तथा अंक ''रुपए ५००'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''रुपए २०००'' स्थापित किए जाएं तथा खण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, शब्द और अंक ''रुपए १०००'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''रुपए ५०००'' स्थापित किए जाएं.

(ग) उप-मद (२) में, खण्ड (क) में कॉलम (२) में, शब्द तथा अंक ''रुपए ५००'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''रुपए १०००'' स्थापित किए जाएं और खण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, शब्द तथा अंक ''रुपए १०००'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''रुपए २०००'' स्थापित किए जाएं.

द्वितीय अनुसूची, का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

(एक) मद ४ क में,—

(क) शब्द ''रुपए १० लाख तक'' के स्थान पर, शब्द ''रुपए १० लाख से कम'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''(क)	डीजल द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का १० प्रतिशत.
(ख)	पेट्रोल/हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित.	यान के कुल मानक मूल्य का ८ प्रतिशत.
(ग)	बैटरी द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत.'';

(दो) मद ४ ख में,—

(क) शब्द तथा अंक ''रुपए १० लाख से अधिक'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''रुपए १० लाख से तथा रुपए २० लाख तक'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''(क)	डीजल द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का १२ प्रतिशत.
(ख)	पेट्रोल/हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित.	यान के कुल मानक मूल्य का १० प्रतिशत.
(ग)	बैटरी द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत.'';

(तीन) मद ४ ख के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''४ख क. मोटरसाईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन/परिवहन यान जिनकी मानक मूल्य २० लाख से अधिक है—

(क)	डीजल द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का १६ प्रतिशत.

(ख) पेट्रोल/हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित. — यान के कुल मानक मूल्य का १४ प्रतिशत.

(ग) बैटरी द्वारा चलित — यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण.—लोक नीलामी में सरकार द्वारा बेचे गए यान पर कर की गणना, मद ४क, ४ख तथा ४खक के उपबंधों के अनुसार जीवन काल कर के लिये उस लागत पर जिस पर कि सरकार ने वाहन खरीदा था, की जाएगी.'';

(चार) मद ४ग के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''४घ. मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ४९ के उल्लंघन में चल रहे गैर परिवहन यान की दशा में — देय जीवन काल कर और देय कुल कर का २० प्रतिशत अतिरिक्त, जो दिनांक १-९-२०१९ से प्रभावशील होगा.'';

(पांच) मद ७ में,—

(क) उप-मद (क) में, कॉलम (२) में, अंक तथा शब्द ''यान के मानक मूल्य का ४%'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''सकल यान भार का कुल भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ३५००'' स्थापित किए जाएं;

(ख) उप-मद (ख) में, कॉलम (२) में, अंक तथा शब्द ''यान के मानक मूल्य का ३%'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''सकल यान भार का कुल भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए २५००'' स्थापित किए जाएं.'';

(ग) उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''**टिप्पणी:** ऐसे माल यान जिनका लदान भार २८००० किलोग्राम से अधिक हो, यान के स्वामी के पास प्रथम अनुसूची की मद पांच की उप-मद (२) में यथा विनिर्दिष्ट कर के भुगतान के लिये विकल्प होगा.'';

(छह) मद ७क के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''७क. ऐसे माल यान जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिए लाए गए हों, उन यान के लिए जीवन काल कर निम्नानुसार होगा :—

(क) अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष तक के पुराने यान — यान के सकल यान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपए ६०००.

(ख) अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष से अधिक पुराने यान — यान के सकल यान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपए ४०००.'';

(सात) मद ८ के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''८. माल यान—

माल यान का जीवनकाल कर — मानक मूल्य का ८ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण.—माल यान के मानक मूल्य से अभिप्रेत है—

(एक) निर्माता द्वारा निर्मित बॉडी युक्त मालयान का व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य या परिवहन विभाग द्वारा निश्चित किया गया मानक मूल्य, जो भी उच्चत्तर हो.

(दो) व्यापारी द्वारा चेसिस के रूप में यान बेचे जाने की दशा में, व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य और परिवहन विभाग से मान्यताप्राप्त बॉडी निर्माणकर्ता द्वारा निर्मित बॉड़ी का मानक मूल्य, उक्त यान का कुल मानक मूल्य होगा.'';

(आठ) मद ९ में, कॉलम (२) में, अंक ''६%'' के स्थान पर अंक ''१०%'' स्थापित किया जाए;

(नौ) मद १० के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''१०. ऐसे यानों के लिए जीवनकाल कर जो इस अनुसूची के किसी भी वर्ग में नहीं आते और जो मध्यप्रदेश राज्य में १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व पंजीकृत थे, निम्नानुसार होगा :—

(क)	१ अक्टूबर, २०१४ को तीन वर्ष तक पुराना यान	लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १२०००.
(ख)	१ अक्टूबर, २०१४ को तीन वर्ष से अधिक पुराना यान	लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ९०००.

(दस) मद १० के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''१क. ऐसे यानों के जीवनकाल कर, जो इस अनुसूची के किसी भी वर्ग में नहीं आते और जो अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् अन्य राज्य से मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिये लाये गये हों, निम्नानुसार होगा :—

(क)	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष तक के पुराने यान	लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए २००००.
(ख)	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष से अधिक पुराने यान	लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १५०००.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मोटरयान कर को युक्तिसंगत करने के उद्देश्य से, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २५ सन् १९९१) की धारा २०, प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ जुलाई, २०१९.

गोविन्द सिंह राजपूत
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् (१९९१) से उद्धरण

*   *   *   *

धारा २०.अपील—कोई व्यक्ति,—

(क) जो कर के उद्ग्रहण अथवा धारा १३ के अधीन अधिरोपित शास्ति के लिए किए गए किसी आदेश से व्यक्ति है, या

(ख) धारा १६ के अधीन किए गए मोटरयान के अभिग्रहण से व्यथित है; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित है;

विहित समय के भीतर और विहित रीति में, विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति और ऐसे कराधान प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् उक्त अपील का निपटारा करेगा और उस पर किया गया विनिश्चत अंतिम होगा :

परन्तु कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उद्ग्रहीत कर और अधिरोपित शास्ति की रकम का, जिसके संबंध में वह अपील प्रस्तुत की गई है, संदाय न कर दिया गया है

*   *   *   *

प्रथम अनुसूची

[धारा ३ की उपधारा (१) देखिए]

मोटरयान का वर्ग (१)	मोटरयानों के लिए कर की दर (रुपये में) (२)
(चार) लोक सेवा यान	
(१) १३+१ या इससे अधिक यात्रियों को बैठाने के लिए अनुज्ञात यान तथा जो किराए या पारिश्रमिक (रिवार्ड) पर मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी (कांट्रेक्ट कैरेज) के रूप में चलाया जा रहा हो	
(क) शहरी मार्गों पर नगर सेवा/सिटी बस के रूप में चलाए जोन के लिये	९० प्रति सीट प्रति तिमाही
(ख) शहरी मार्गों से लगे हुए क्षेत्रों में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.	१५० प्रति सीट प्रति तिमाही
(२) १३+१ या अधिक यात्रियों को बैठाने के लिए अनुज्ञात यान तथा जो अतिरिक्त/आरक्षित यान के रूप में रखा गया है.	१८० प्रति सीट प्रति तिमाही
(३) शहरी मार्गों से भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिये अनुज्ञात यान और जहां कि एक दिन में तय की जाने वाले अनुज्ञात कुल दूरी—	
(क) १०० कि. मी. से अधिक नहीं है—	१८० प्रति सीट प्रतिमाह
(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १० कि. मी. या उसके भाग के लिए	रुपए १२ प्रति सीट प्रतिमाह

(१)	(२)
(पाँच) माल वाहन.—	
(१) ऐसे मालयान पर, १ अक्टूबर २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत था और जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार १२००० किलोग्राम या कम है, कर, द्वितीय अनुसूची की मद ६ के अनुसार होगा.	
(२) ऐसे मालयान पर, जो १ अक्टूबर २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत था और जिसका रस्ट्रीकृत लदान भार १२००० किलोग्राम से अधिक है, कर,—	
(क) १२००० किलोग्राम से अधिक किन्तु १३००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ३२५० प्रति तिमाही
(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए	रुपए २५० प्रति तिमाही
(३) अन्य राज्यों के मालयान जिनका रजिस्ट्रीकृत लदान भार—	
(क) ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है	रुपए ४२०० प्रति वर्ष
(ख) ५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ६००० प्रति वर्ष
(ग) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए १००० प्रति वर्ष
(छह) निजी सेवा यान जिनकी बैठक क्षमता १२+१ से अधिक हो.	रुपए ६०० प्रति सीट प्रति तिवाही
(सात) शैक्षणिक संस्था बस	रुपए १२ प्रति सीट प्रति वर्ष
(आठ) अन्य यान—	
(१) (क) मद एक, दो तथा तीन के अतिरिक्त अन्य यान जो व्यावसायिक प्रमाण-पत्र या अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत आते हैं और जिनका लदान रहित वजन ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ६०० प्रति तिमाही
(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए ३००.०० प्रति माह
(२) ऐसे यान जो अन्य राज्य की किसी अनुसूची में नहीं आते हैं और मध्यप्रदेश राज्य में लाए जाते हैं—	
(क) ऐसे यान जिनका लदान रहित वजन ३००० किलोग्राम तक है.	रुपए ५००.०० प्रति माह
(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए २००.०० प्रति माह

(१)	(२)
(नौ) अंतरण कर	
स्वामित्व के अंतरण के समय, निम्नलिखित अंतरण कर देय होगा—	
(एक) गैर परिवहन यान	पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का १ प्रतिशत.
(दो) परिवहन यान	पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का ०.५ प्रतिशत.
स्पष्टीकरण.—यान के स्वामी की मृत्यु होने पर स्वामित्व के अंतरण की दशा में अथवा मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ५० की उपधारा (२) के अधीन सरकार द्वारा लोक नीलामी द्वारा अंतरण पर इस अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त मोटरयान कर देय नहीं होगा.	
(दस) हरित क़र	
(१) पंजीयन के नवीकरण के समय अथवा पंजीयन की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, गैर परिवहन यान पर निम्नलिखित हरित कर देय होगा—	
(क) दो पहिया वाहन पर	रुपए ५०० (पांच वर्ष के लिए)
(ख) दो पहिया वाहन से भिन्न अन्य यान पर	रुपए १००० (पांच वर्ष के लिए)
(२) विनिर्माण वर्ष से आठ वर्ष पुराने परिवहन यान का फिटनेस प्रमाण-पत्र के समय, निम्नलिखित हरित कर देय होगा—	
(क) दो पहिया वाहन, हल्के मोटरयान एवं मध्यम मोटरयान	रुपए ५००
(ख) भारी मोटरयान	रुपए १०००

द्वितीय अनुसूची

[धारा ३ की उपधारा (१) देखिए]

मोटरयान का विवरण (१)	जीवनकाल कर की दर (२)
४ क. मोटर साईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन/परिवहन यान जिनका मानक मूल्य १० लाख तक हो—	

(१)	(२)
(क) डीजल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ८ प्रतिशत
(ख) पेट्रोल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ७ प्रतिशत
(ग) हाईब्रिड / सीएनजी / एलपीजी द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ६ प्रतिशत
(घ) बैटरी द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ५ प्रतिशत
४ ख. मोटर साईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन / परिवहन यान जिनका मानक मूल्य रुपए १० लाख से अधिक हो—	
(क) डीजल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ९ प्रतिशत
(ख) पेट्रोल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ८ प्रतिशत
(ग) हाईब्रिड / सीएनजी / एलपीजी द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ७ प्रतिशत
(घ) बैटरी द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ६ प्रतिशत

४ ग. ऐसे दुपहिया तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन / परिवहन यान जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मध्यप्रदेश राज्य में लाए गए हो, उक्त यान का स्वामी मद ४क तथा ४ख में उल्लिखित दरों के निम्नलिखित प्रतिशत में कर का संदाय करेगा—

(क)	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को, पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष तक पुराने पंजीकृत यान.	८० प्रतिशत
(ख)	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को, पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान.	६० प्रतिशत

* * * * * *

७. ऐसे मालयान जिनका कि रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम या कम है तथा जो १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत है, जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी:—

(क) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख तीन वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान	यान के मानक मूल्य का ४ प्रतिशत
(ख) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख तीन वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.	यान के मानक मूल्य का ३ प्रतिशत

७क. ऐसे माल यान अथवा ऐसे मोटरयान जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों की किसी श्रेणी के अंतर्गत न हों, जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिए लाए गए हों, उन पर जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी:—

(क)	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष तक पुराने माल यान / मोटर यान	यान के मानक मूल्य का ५ प्रतिशत

(१)	(२)
(ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने माल यान/मोटर यान	यान के मानक मूल्य का ४ प्रतिशत
८. मालयान—	
(क) चेसिस	मानक मूल्य का ७ प्रतिशत
(ख) निर्माता द्वारा निर्मित बॉडी युक्त	मानक मूल्य का ६ प्रतिशत
९. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के किसी भी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य नवीन मोटरयान.	मानक मूल्य का ६ प्रतिशत
१०. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के किसी भी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले तथा १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत ऐसे समस्त मोटरयानों के लिए जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी:—	
(क) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तरीख को तीन वर्ष तक के पुराने रजिस्ट्रीकृत यान	यान के मानक मूल्य का ४ प्रतिशत
(ख) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.	वाहन के मानक मूल्य का ३ प्रतिशत

स्पष्टीकरण १.—खण्ड ६, ७ एवं १० के अधीन जीवनकाल कर जमा करने की तारीख को ऐसे वाहन पर कोई कर बकाया नहीं होना चाहिए, १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख से ऐसे वर्ग के यान को मासिक/त्रैमासिक कर भुगतान करने से वर्जित होंगे.

स्पष्टीकरण २.—यान के मानक मूल्य से अभिप्रेत है रजिस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य या उस समय परिवहन विभाग द्वारा निश्चित किया गया उक्त यान का मानक मूल्य, जो भी उच्च हो.

स्पष्टीकरण ३.—यानों के उपरोक्त वर्ग के मानक मूल्य के आधार पर जीवनकाल कर की संगणना करने के लिए यान स्वामी से यह अपेक्षा की जाएगी की वह रजिस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा जारी की ई विक्रय रसीद प्रस्तुत करे. यान का मानक मूल्य मध्यप्रदेश में देय मानक मूल्य होगा.

स्पष्टीकरण ४.—बैटरी / सीएनजी / एलपीजी चलित यानों के संबंध में कर की दर केवल तभी देय होगी जबकि ऐसा यान निर्माता द्वारा ही इस प्रकार निर्मित किया गया है.

स्पष्टीकरण ५.—हायब्रिड यान ऐसा यान है जो कि यान को चलाने के लिए दो या अधिक भिन्न स्रोतों का उपयोग करता है. जिनमें से एक सीएनजी / एलपीजी / एनएलजी या बैटरी होना चाहिए.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.